



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003 / 2003 / का.आ. / 02-18 / 2022

दिनांक : 14.02.2022

परिपत्र

विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में उपलब्ध जिम तत्काल प्रभाव से पूर्व की भाँति खुले रहेंगे।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
14/02/22

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त छात्रावास अधीक्षक

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
5. सहायक कुलसचिव (भंडार एवं क्रय विभाग)
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली